रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252791
CG-DL-E-09032024-252791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1122]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945
No. 1122]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1184(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, (जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है), राजस्थान राज्य के कोटपुतली–बहरोड जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

पूर्ववर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखंड अधिकारी, नीमराणा, जिला कोटपुतली–बहरोडए राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा ऐसा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो,

करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की रूपरेखा और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के कोटपुतली–बहरोड जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : कोटपुतली–बहरोड

क्रम संख्या	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)
(1)	मांढ़ण	मांढ़ण	306/2188	कृषि	0.0200
			59/2185	कृषि	0.0022
			301	कृषि	0.0090
			306/2186	कृषि	0.5019
			365	कृषि	0.0226

[फा. सं. 2024/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2468]
पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1184(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the lands, (the brief description of which has been specified in the Schedule annexed to this notification) is required for execution of the Special Railway Project namely, the Western Dedicated Freight Corridor in the District of Kotputli-Behror in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection, to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every objection referred to in the preceding paragraph, shall be made to the competent authority namely, Sub Divisional Officer (Upkhand Adhikari), Nimrana, District Kotputli-Behror, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof and such competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act, shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, the Western Dedicated Freight Corridor in district Kotputli-Behror in the State of Rahasthan.

District: Kotputli-Behror

Sr. No.	Tehsil	Village	Plot No.	Nature of Land	Area (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)
(1)	Mandhan	Mandhan	306/2188	AGRICULTURAL	0.0200
			59/2185	AGRICULTURAL	0.0022
			301	AGRICULTURAL	0.0090
			306/2186	AGRICULTURAL	0.5019
			365	AGRICULTURAL	0.0226

[F. No. 2024/LML-II/12/1/WC/2468]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA